नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2011 से 03/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक :–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि में तैनात अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

प्रधान :–

क्रम संख्या	अध्यक्ष का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती कृष्णा महाजन	01.04.2011 से 31.03.2013
2		
कार्यकारी अधिकारी :–		
1	श्री ललित कुमार	01.04.2011 से 21.07.2012
2	श्री आर0एस0 वर्मा	23.07.2012 से 31.3.2013

(ख) नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 तक अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदान की राशि का 31.03.13 तक उपयोग न करना	5	38.91
2	गृहकर व दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	6	34.11
3	मोबाईल टावर कम्पनियों से वसूली योग्य शेष राशि	7	0.75
4	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	14	0.05

5	संविदाकार से आयकर की राशि की वसूली न करना	18	0.36

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 04/11 से 03/13 का वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी, (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 20.2.2014 से 15.3.2014 के दौरान नूरपुर में किया गया। माह 03/12 व 12/12 को आय तथा माह 4/11 व 3/13 को व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया जिसके परिणामो को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नूरपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अन्य अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर परिषद नूरपुर के लेखों अवधि 04/11 से 03/13 तक का अंकेक्षण शुल्क निम्नविवरणानुसार ₹18700 आंका गया है, अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नूरपुर से परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98, दिनांक 18.03.2014 द्वारा अनुरोध किया गया।

पद नाम	दिन	दर	कुल राशि
अनुभाग अधिकारी	17	600	10200

आर्टिकल सहायक	17	500	8500
		कुल जोड़	**18700**

4 **वित्तीय स्थिति :–**

04/2011 से 03/2013 की अवधि के स्वयं के स्त्रोतों तथा अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर दर्शाया गया है तथा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत आय व व्यय की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का बैंक से मिलान सम्बन्धित वित्तीय स्थिति विवरणी के साथ संलग्न है। विभिन्न बैंकों में दर्शाए गए अन्तरों का मिलान रोकड़ वही के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 **अनुदान की राशि ₹38.91 लाख का 31.03.13 तक उपयोग न करना :–**

अंकेक्षण अवधि में शहरी विकास विभाग व जिलाधीश कार्यालय इत्यादि से प्राप्त अनुदानों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि राशि ₹3891097 अनुदानों का निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तथा कई विकास कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किए गए हैं यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नगर परिषद को यह परामर्श दिया जाता है कि जिन अनुदानों का उपयोग निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है को या तो सरकार को वापिस भेजा जाए अन्यथा इनके उपयोग हेतु सरकार/सम्बन्धित विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त जिन अनुदानों का उपयोग कर लिया गया है लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बन्धित विभाग को नहीं भेजे गए हैं उन्हें सम्बन्धित विभाग को शीध्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6 **गृहकर एवं दुकानों के किराये ₹34.11 लाख की बकाया राशि की वसूली न करना:–**

दिनांक 31.03.13 को ₹3411158 गृहकर एवं दुकानों के किराये की बकाया राशि के रूप में वसूली जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम	**शीर्ष**	**31.03.13 को**	**टिप्पणी**

संख्या		बकाया राशि	
1	गृहकर	2070062	परिशिष्ट "छ" में वर्णित
2	दुकानों एवं भवनों का किराया	1341096	परिशिष्ट "ङ" में वर्णित
	कुल योग	₹3411158	

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः ULB-H(A)-1/87-9237-9284, dated 20-06-01 से अनुसार गृहकर एवं अन्य करों की 100% वसूली करने के निर्देश दिए गए तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है अन्यथा दिनांक 31.03.13 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की अविलम्ब वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाएें ताकि नगर परिषद से विकास कार्य प्रभावित न हों।

7 मोबाईल टावर कम्पनियों से ₹75000/– बकाया राशि की वसूली न करनाः–

हिमाचल पदेश सरकार की अधिसूचना संख्या–HIM/TP/PT/Vol-ix/06-8695-8760 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों का स्थापना शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क इत्यादि प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है मगर नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को विभिन्न मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों से ₹75000/– बकाया राशि योग्य शेष थी जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "च" में दिया गया है तथा उपरोक्त शेष बकाया राशि को नियमानुसार वसूल करने हेतु उचित कार्यवाही करके इसकी वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 गृहकर व किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली रजिस्टरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि गृहकर व किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली रजिस्टरों को सक्षम अधिकारी द्वारा न तो अधिकृत किया गया और न ही प्राप्त होने वाली आय को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया जबकि समय समय पर इनकी वसूलियों की जाँच अधिकृत अधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक थी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में गृहकर व किराये से सम्बन्धित मांग/वसूली रजिस्टरों का सत्यापन नियमानुसार सक्षम अधिकारी से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 वाऊचर संख्या 41 व 42 माह 3/13 द्वारा क्रमशः ₹33000/– व ₹25000/– का भुगतान मै0 चोपड़ा पब्लिशिंग हाऊस जालन्धर को उनके बिल संख्या 1002217821 दिनांक 26.12.12 तथा आपका फैसला प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड हमीरपुर को उनके बिल संख्या 19270 दिनांक 28.12.12 के तहत विज्ञापनों को प्रकाशित करने हेतु किया गया इन वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) अनियमित व्ययः–

निदेशक सम्पर्क विभाग के पत्र संख्या 15 (1)/2006 PUB-14263-92 दिनाँक 20.8.06 द्वारा विज्ञापन के लिये उपरोक्त पत्र के अनुसार निदेशक लोक सम्पर्क की पूर्व स्वीकृति लेनी वाँछित थी परन्तु उपरोक्त प्रकरण में संस्था द्वारा निदेशक लोक सम्पर्क विभाग स्वीकृति नहीं ली गई। अतः स्वीकृति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जिसे अब सक्षम अधिकारी की पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

(ii) DAVP रेट की प्रति प्रस्तुत न करनाः–

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग के पत्र संख्या 15 (1)/2006 PUB-14263-92 दिनाँक 20.8.06 द्वारा उपरोक्त विज्ञापनों को DAVP रेट के आधार पर किया जाना अपेक्षित था व अंकेक्षण द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों से DAVP रेट की प्रति मांगी गई परन्तु संस्था द्वारा प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में भुगतान की गई दरों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित प्रति जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाये।

10 नगर परिषद निधि से ₹10000/– का अनियमित व्यय बारेः–

लेखा परीक्षण के दौरान जाँच उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित वाउचर द्वारा ₹10000/– का व्यय किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 के प्रावधानों व निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.8.01 के अनुसार यह परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से किये व्ययों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 व राशि	किए गए व्यय का विवरण
1	35 माह 3/13 ₹10000/–	मै0 शर्मा फ्लारिस्ट पठानकोट को हार व बुकें की

खरीद हेतु ₹8800 का भुगतान

मै0 गुरू नानक स्टोर पठानकोट को उनके बिल संख्या NIL दिनांक 4.3.13 के एवज में किरपान की खरीद हेतु ₹1400 का भुगतान

11 पैन्शन की राशि ₹105/– का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 46 की जाँच पर पाया गया कि श्रीमती तारा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री योगराज सेवानिवृत सफाई कर्मचारी नुरपूर को पारिवारिक पैन्शन ₹89450/– का भुगतान किया गया है जबकि गणना अनुसार राशि ₹89345/– का भुगतान अपेक्षित था इस प्रकार राशि ₹105 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12 बिना औपचारिकता पूर्ण किये ₹65750/– का अनियमित व्ययः–

वाऊचर संख्या 48 माह 3/2013 के तहत ₹65750/– के सामान की खरीद हेतु निम्नलिखित फर्मों से निविदायें आमन्त्रित की गई।

क्र0सं0	फर्म का नाम	दूरभाष नं0
1	मै0 चन्द्र इन्टरप्राईजेज नूरपुर, जसूर	226336
2	मै0 पंजालिया इलैक्टिरकल वर्कस जसूर	227798
3	मै0 संजय इलैक्ट्रिकलस जसूर	226336

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि क्रम संख्या 1 व 3 से सम्बन्धित फर्मों की निविदाओं पर एक ही दूरभाष नं0 226336 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों निविदायें एक ही फर्म से सम्बन्धित है यह अनियमित है जबकि उक्त क्रय पूर्ण बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बगैर किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित तरीके के किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

13 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹662/– का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 16 मास 3/2013 के तहत ₹1549/– का भुगतान श्री मान सागर सफाई कर्मचारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में किया गया जबकि अंकेक्षण में जाँच उपरान्त पाया गया कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु ₹887/– का भुगतान किया जाना

अपेक्षित था इस प्रकार ₹662/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी पुनः जाँच करने के उपरान्त अधिक भुगतान की गई राशि की प्राप्ति स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से सम्बन्धित फार्म HPTR 6 में सम्बन्धित कर्मचारी के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति में ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इसे भुगतान हेतु पारित कर दिया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में जाँच उपरान्त ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

14 कार्य का नामः– "Complection of Room Govt. Arya Degree College Nurpur."

ठेकेदार का नामः– श्री राज कुमार मैहरा

कार्य शुरू करने की तिथिः– 25.10.2011

कार्य समाप्ति की तिथिः– 18.11.2011

अवार्ड पत्र संख्याः– MCN/works/891-92 दिनांक 24.10.11

एम0बी0 संख्याः– 74 पेज 31

₹5623/– का अधिक/अनुचित भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 3 "Steel work welded in suild up Section" की गलत गणना करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹5623/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

गणना ली गई	उचित गणना	अन्तर	दर	राशि
24x3.48=83.52 Kg	0.24x3.48=0.8352 Kg	82.6848 Kg (83.52-0.8352)	68	5622.56

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्य की सीमेन्ट जारी व सीमेन्ट उपयोग से सम्बन्धित विवरणियाँ नियमानुसार तैयार नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अपेक्षित अभिलेख अब तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

15 कार्य का नाम "Installation of high Mast light in Nurpur Town"

ऐजेन्सी मै0 चन्द्र इन्टरप्राईजिज नूरपुर

कार्य शुरू करने की तिथि 09.08.2012

कार्य समाप्ति की तिथि 27.8.2012

अवार्ड पत्र संख्याः– MCN/works/289-90 दिनांक 28.3.12 राशि ₹839920/–

उक्त कार्य की जाँच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(i) लेखा परीक्षण में पाया गया कि मैसर्ज चन्द्र इन्टर प्राईजेज नूरपुर को High Mast Light का कार्य ₹839920/– में आंबटित किया गया उक्त कार्य केवल दो टैण्डरों के आधार पर

आंबटित किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (C)A(2)-2/89 दिनांक 2.02.12 व CPWD के पैरा 95 के अनुसार कार्य आंबटित केवल तीन टैण्डरों के आधार पर किया जाना अपेक्षित था अगर दो टैण्डर के आधार पर आंबटित था तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी अपेक्षित थी उपरोक्त के अभाव में एक तो बाजारी प्रतिस्पर्धा से मिलने वाले लाभ से नगर परिषद को वंचित रहना पड़ा अगर इस कार्य बारे पुनः टैण्डर आमन्त्रित किए जाते तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त प्रक्रिया के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेना सुनिश्चित किया जाये व की गई कार्यवाही की स्वीकृति लेना सुनिश्चित किया जाये व की गई कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाये।

(ii) उक्त कार्य हेतु कोई प्राकलन तैयार नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार कार्य आंबटन करने से पूर्व कार्य से सम्बन्धित प्राकलन तैयार किया जाने अपेक्षित था बिना प्रकलन तैयार किये कार्य का आंबटन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

16 कार्य का नामः– "Providing white washing to President Cum Guset House on 1st of floor M.C. Complex Nurpur."

एजेन्सी पंकज सागर

वर्क आर्डर संख्या 001/007 दिनांक 10.1.2011

उक्त कार्य की मद संख्या 4 "Painting One Coat (Excluding Primer Coat Etc.) की गणना अनुसार वास्तविक मात्रा 147 Sq. metre बनती थी जिस हेतु ₹14.40 की दर से ₹2117/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि उक्त मद की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹2179/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹62/–का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 कार्य का नामः– "Repair of Rehan Basera in ward No. 3 Nurpur"

ठेकेदार का नामः– श्री मोहिन्द्र पाल

कार्य शुरू करने की तिथिः–18.12.2011

कार्य समाप्त करने की तिथि 02.05.2012

अवार्ड पत्र संख्याः– MCN/Works/1016-17 दिनांक 18.11.11

उक्त कार्य की जाँच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(i) उक्त मुरम्मत कार्य की मद "Kota Stone Flooring" के अन्तर्गत मापन पुस्तिका संख्या 58 में Column से सम्बन्धित क्षेत्रफल 0.76X6=4.56 Sqft को घटाया नहीं गया है जबकि ठेकेदार

को उपरोक्त कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को 4.56 Sqft का 336 की दर से =₹1532 का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) जाँच के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तानुसार नगर परिषद द्वारा उक्त कार्य के बिलों से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई है। माप पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों में संविदाकार द्वारा जल को क्रय करने व निर्माण कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा जल के लिये किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया। निशुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत ₹254643 पर 1.5% की दर से ₹3820 की जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं की गई। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹3820/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 ठेकेदार से आयकर ₹36703/– की वसूली न करनाः–

वर्ष 2011–12 व 2012–13 के लिये श्री सुरेन्द्र कुमार संविदाकार को सफाई कार्य हेतु ठेका आंबटन किया गया था परन्तु उक्त संविदाकार से नियमानुसार बिलों से निम्न विवरणानुसार 2% की दर से आयकर की कटौती नहीं की गई बिलों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "छ" पर दिया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व ₹36703 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	भुगतान की गई राशि	आयकर की दर	आयकर के रूप में न काटी गई राशि
2011–12	788981	2%	15780
2012–13	1046162	2%	20923
		कुल योग	**36703**

19 वाहन संख्या एच0पी0 38–6472 की औसत तैयार न करनाः–

नगर परिषद के वाहन संख्या एच0पी0–38–6472 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि माह मार्च 2013 की ईधन खपत विवरणिका व वाहन की औसत से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था जिससे अभाव में गाड़ी के औसत की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसे अब तैयार करके आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

20 वाहन संख्या एच0पी0 38 A–8072 के सन्दर्भ में:–

वाहन संख्या एच0पी0–38 A–8072 की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.3.13 को वाहन में 10 लीटर तेल भरवाया दर्शाया गया है जबकि लॉग बुक में तेल भराई के प्रमाण के तौर पर सम्बन्धित पैट्रोल पम्प की स्टैम्प नहीं थी जिसके अभाव में ईंधन की वास्तविक खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 10 लीटर ईंधन के मूल्य की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

21 व्यय से सम्बन्धित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

निम्नलिखित रजिस्टरों का नगर परिषद द्वारा रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था जिसके अभाव में समय–समय पर यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि किस शीर्ष के अन्तर्गत कितना व्यय किया गया है जिन्हें अब तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का नाम**
1	टेलीफोन बिल रजिस्टर
2	बिजली बिल रजिस्टर
3	मैडिकल बिल रजिस्टर
4	टी0ए0 बिल रजिस्टर

24 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्ष :– लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– V(8)2012-फिन(एल0ए0)–खण्ड–1-3413-3414 दिनांक,24.06.2014 शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

पंजीकृत :–
2. सचिव, नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क'' अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/86

1	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/86 से 03/88

1	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10	अनिर्णीत	
5	पैरा 11	अनिर्णीत	
6	पैरा 15	अनिर्णीत	
7	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 16(ई)	अनिर्णीत	(केवल 35 बोरी सीमेन्ट की वसूली मापन पुस्तिका संख्याः 17/91 व 19/21 द्वारा कर ली गई)
9	पैरा 16(एफ)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/90

1	पैरा 3(ङ)	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10	अनिर्णीत	
5	पैरा 11	अनिर्णीत	आंशिक रूप से अनिर्णीत
6	पैरा 12(बी)(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 12(सी)(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 12(डी)(2)	अनिर्णीत	

9	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत	
10	पैरा 12(एच)(1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 12(आई)(3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 12(एम)	अनिर्णीत	
13	पैरा 14(4)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14(6)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14(11)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14(12)	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/2000

1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	अनुदानों की सूची
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	अनुदानों की सूची
4	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10(क)(2)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10(क)(3)	अनिर्णीत	
14	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 10(ङ)	अनिर्णीत	
18	पैरा 10(च)	अनिर्णीत	
19	पैरा 12(ज)	अनिर्णीत	
20	पैरा 12(थ)	अनिर्णीत	
21	पैरा 12(ब)	अनिर्णीत	

22	पैरा 12(म)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(य)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(व)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 13(च)(1)	अनिर्णीत
28	पैरा 13(ज)(3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2007

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 2(i)	निर्णीत
3	पैरा 2(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 2(iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 2(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 2(v)	अनिर्णीत
7	पैरा 2(vi)	अनिर्णीत
8	पैरा 2(vii)	अनिर्णीत
9	पैरा 2(viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 3	अनिर्णीत
11	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
14	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत
15	पैरा 4(viii)(a)	अनिर्णीत
16	पैरा 4(viii)(b)	अनिर्णीत
17	पैरा 4(viii)(c)	अनिर्णीत
18	पैरा 4(viii)(d)	अनिर्णीत
19	पैरा 4(viii)(e)	अनिर्णीत
20	पैरा 4(viii)(f)	अनिर्णीत
21	पैरा 4(ix)(a)	अनिर्णीत
22	पैरा 4(x)(a)	अनिर्णीत
23	पैरा 4(x)(b)	अनिर्णीत

24	पैरा 4(xii)	अनिर्णीत	
25	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत	
26	पैरा 4(xiv)	अनिर्णीत	
27	पैरा 4(xv)(a)	अनिर्णीत	
28	पैरा 4(xv)(b)	अनिर्णीत	
29	पैरा 4(xvi)	अनिर्णीत	
30	पैरा 4(xvii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
32	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	
33	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत	
34	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत	
35	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत	
36	पैरा 6(i)(क,ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	
39	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(x)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
43	पैरा 6(xiv)	अनिर्णीत	
44	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
45	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
46	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
47	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत	
48	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011

1	पैरा 2	निर्णीत	(की गई कार्यवाही की जाँच उपरान्त)
2	पैरा 3	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
3	पैरा 4	अनिर्णीत	

4	पैरा 5	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
6	पैरा 7	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
7	पैरा 8	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
14	पैरा 15	अनिर्णीत	
15	पैरा 16	अनिर्णीत	
16	पैरा 17	अनिर्णीत	
17	पैरा 18	अनिर्णीत	
18	पैरा 19	निर्णीत	
19	पैरा 20	अनिर्णीत	
20	पैरा 21	अनिर्णीत	
21	पैरा 22	अनिर्णीत	
22	पैरा 23	निर्णीत	